1

<u>न्यायालयः—अमूल मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</u> <u>अंजड जिला बड्वानी म.प्र.</u>

आपराधिक प्रकरण कमांक 105 / 18 संस्थित दिनांक 26.04.2018

म.प्र.शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

.....अभियोगी

विरूद्ध

धन्नालाल पिता शोभाराम यादव, निवासी यादव मोहल्ला अंजड़ जिला बडवानी

.....अभियुक्त

:: / / निर्णय / /:: (आज दिनांक 26 / 04 / 2018 को घोषित)

- 1— अभियुक्त धन्नालाल पर सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 4—क के तहत् यह अभियोग है कि वह दिनांक 25.04.2018 को शाम 06:30 बजे के लगभग प्रकाश बंसल की किराणा दुकान के सामने अंजड़ में कल्याण वर्ली का सट्टा अंक लिखकर रूपये लेकर रूपयों की हारजीत के लिये दाव लगाकर सट्टा खेलते/खिलाते हुए पाया गया।
- 2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त ने इस निर्णय की कण्डिका 1 में वर्णित आरोपों को स्वेच्छा से बिना किसी डर दबाव के स्वीकार किया है।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.2018 को थाना अंजड़ पर पदस्थ प्रधार आरक्षक कैलाश चौहान को कस्बा भ्रमण के दौरान बस स्टेण्ड पर मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति प्रकाश बंसल की किराणा दुकान के सामने कल्याण वर्ली का सट्टा अंक लोगों से रूपये पैसे लेकर लिख रहा है। सूचना पर विश्वास कर राहगरी पंचान हिरदाराम और मोहन को तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया एवं मुखबीर के बताये स्थान प्रकाश बंसल की किराणा दुकान के सामने पहुंचे, जहां एक व्यक्ति लोगों से रूपये पैसे लेकर सट्टा अंक लिखते हुए दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम धन्नालाल पिता शोभाराम, निवासी यादव मोहल्ला अंजड़ का बताया। उसके कब्जे से 550 रूपये नगद, सट्टा अंक लिखी 4 पर्चियां, एक कार्बन का टुकड़ा तथा एक लीड पेन पाया जिसे पंचान के समक्ष जप्त किया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बाद थाना वापस आकर उसके विरूद्ध थाने का अपराध क. 163/18 अंतर्गत धारा 4—क सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं प्रकरण को विवेचना में लिया। विवेचना दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना

उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

- उक्त अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4-क सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत् अपराध विवरण विरचित किया जाकर अभियुक्त को अपराध विवरण पढकर सुनाये एवं समझाये जाने उसने उक्त अपराध करना स्वीकार किया उसका अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है:-

क्या अभियुक्त धन्नालाल पिता शोभाराम यादव दिनांक 25.04. 2018 को शाम 06:30 बजे के लगभग प्रकाश बंसल की किराणा दुकान के सामने अंजड़ में कल्याण वर्ली का सट्टा अंक लिखकर रूपये लेकर रूपयों की हारजीत के लिये दाव लगाकर सट्टा खेलते/खिलाते हुए पाया गया?

//निष्कर्ष के आधार//

विचारणीय बिन्द् का सकारण निष्कर्ष

- अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के असल होने को अभियुक्त ने स्वीकार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि उसने उक्त अपराध किया है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से तथा अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के द्वारा धारा 4-क सार्वजनिक द्युत अधिनियम का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने से उसे धारा 4-क सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
- दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया, अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अवलोकन से अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धि होना अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। उक्त स्थिति में अभियुक्त को धारा 4-क सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 750 / – रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिकृम में अभियुक्त को 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताई जाने का आदेश दिया जाता है।
- प्रकरण में जप्तशुदा 550 रूपये राजसात किये जाते है। प्रकरण में जप्तश्रदा 4 अंक पर्चियां, कार्बन का टुकडा एवं लीड पेन मृल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित। एवं मुद्राकित कर उद्घोषित किया गया।

(अमूल मंडलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ जिला बडवानी म.प्र.

(अमूल मंडलोई) जिला बडवानी म.प्र.